बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– 8/कृ0नि0यो0वि–118/2014 /कृ0, पटना, दिनांक 2015

प्रेषक,

प्रभु राम,
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत यांत्रिकरण मेला के बाहर किसानों द्वारा निबंधित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से कृषि यंत्रों के क्रय किये जाने पर अनुदान वितरण की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृत।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप (2012–17) के लक्ष्य के अनुसार राज्य में कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में राज्य योजना अन्तर्गत 284.00 करोड़ (दो सौ चौरासी करोड़) रूपये की लागत पर कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तद्नुसार विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या क्रमशः 3154, 3155, 3156 दिनांक–15.07.2014 एवं स्वीकृत्यादेश सं0 क्रमशः 801, 802, 803 दिनांक–10.02.2015 द्वारा निर्गत किया गया है। वर्णित स्वीकृत्यादेश में प्रावधान है कि अनुदानित दर पर कृषि यंत्रों का वितरण किसान मेला लगाकर किया जायेगा। वर्त्तमान में अनुदान भुगतान की प्रक्रिया निम्न है 1. किसान द्वारा नगद क्रय, 2. किसान द्वारा अनुदान राशि छोड़कर शेष नगद राशि भुगतान कर विक्रेता से यंत्र का क्रय 3. बैंक ऋण द्वारा क्रय। विभाग द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना हेतु ऑनलाईन सिस्टम लागू कर दिया गया है। किसानों द्वारा ऑन लाईन आवेदन किये जाने के उपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति पत्र निर्गत होने के पश्चात कृषि यांत्रिकरण मेला में निबंधित आपूर्तिकर्ता से अनुमोदित मेक/मॉडल क्रय कर सकते हैं।

(2) ऐसे दृष्टांत पाये गये हैं कि किसानों द्वारा कृषि यंत्रों का क्रय मेला के बाहर कर लिया जाता है एवं उसका अनुदान का दावा मेला में करते हैं। कुछ ऐसे मामले पाये गये है कि मेला अवधि में किसानों के पास राशि नहीं रहने या अन्य कारणों से कृषि यंत्र का क्रय नहीं कर पाते हैं। साथ ही यह महसूस किया गया है कि किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी यंत्र का क्रय कर सके, इसका छूट हो।

(3) अतः इस योजना में प्रावधान किया जाता है कि किसान मेला के बाहर भी भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से परिक्षित/प्रमाणित कृषि यंत्रों का क्रय करने की स्वीकृति दी जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि किसानों द्वारा ऑन लाईन आवेदन देना होगा। सक्षम प्राधिकार द्वारा ऑन लाईन स्वीकृति पत्र निर्गत करने के पश्चात ही मेला के बाहर किसी समय कृषि यंत्र का क्रय कर सकेंगे। किसान द्वारा यंत्र क्रय करने के बाद अनुदान दावा जिला कृषि कार्यालय में समर्पित करेंगे। जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त दावा पत्र के आलोक में यंत्रों का भौतिक सत्यापन कराकर लाभुक कृषक के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से राशि का भुगतान सात दिनों के अन्दर कर दिया जायेगा। शेष शर्ते पूर्व की भाँति होगी। किसान मेला के माध्यम से भी यंत्रों का क्रय पूर्व की भाँति करने का व्यवस्था रहेगी।

15

4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96वि0(2) दिनांक 03.01.2008 मे निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा।

5. मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 18.02.2015 को प्राप्त है। तत्संम्बधी स्वीकृति संचिका संख्या 118/14 के पृष्ठ संख्या /25/टि0 पर प्राप्त है। तद्नुसार संशोधित प्रावधान स्वीकृत्यादेश जारी होने की तिथि से ही लागू होंगे।

6. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0(2) दिनांक 05.010.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या 8/कृ0नि0यो0वि0–118/14 के पृष्ठ संख्या 33 /टि0पर दिनांक 30.03.2015 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(प्रभु राम)

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– /कृ0, पटना, दिनांक 2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक /कृ0, पटना, दिनांक 2015

प्रतिलिपि : सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1627 /कृ0, पटना, दिनांक 31-3-2015

प्रतिलिपि :–माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

31/3/15

अपर सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\Rajyadesh Approv\Rajyadesh 2014-15 -New 19.02.2015.docx

201415 - 2